


न्यायलय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सदर, हजारीबाग ।


अपील दाखिल-खारीज वाद संख्या-08/2020  
श्रीमती सावित्री देवी बनाम् राज्य एवं अन्य  
-:आदेश:-

यह वाद आवेदिका सुमित्रा देवी पति श्री सुरेश साव सा0-कटकमदाग, थाना-कटकमदाग जिला-हजारीबाग के आवेदन पर प्रारंभ किया गया। आवेदिका द्वारा नामान्तरण वाद संख्या-636/2020-21 में पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर किये हैं।

अपील आवेदन के आलोक में उभय पक्षों को नोटिस के माध्यम से स्वयं अथवा अधिवक्ता द्वारा जबाब दाखिल करने एवं कागजात की गोंग की गयी। प्रथम पक्ष द्वारा लिखित ब्यान दिय गया है, कि मौजा-कुद II अंतर्गत खाता सं0-85 अनहछ राय के नाम दर्ज है। अनहछ राय के मृत्यु उपरांत रामशरण राय के नाम प्रश्नगत भूमि आया। उन्होंने उक्त खाता के प्लॉट सं0-895 रकबा 14 डिसमिल को निबंधित केवाला से रकबा 08 डिसमिल सेनापति बोस एवं रकबा 06 डिसमिल शमी बोस को बिक्री कर दिये। कालांतर में शमी बोस की मृत्यु हो गयी, जिनका कोई वारीस नहीं होने के कारण उक्त प्लॉट का कुल रकबा का मालिक शमी बोस के बड़े भाई सेनापति बोस हुए। सेनापति बोस ने उक्त भूमि का पॉवर ऑफ एटोर्नी श्री सुरेश साव को दे दिए। उक्त पॉवर ऑफ एटोर्नी के माध्यम श्री साव ने भूलन साव, कुलदीप साव एवं आनन्द राय को केवाला के माध्यम हस्तांतरित कर दिये। बाद में भूलन साव द्वारा खरीदी गयी 03 डिसमिल भूमि में से 1.5 डिसमिल भूमि आवेदिका को एवं 1.5 डिसमिल भूमि सारो देवी को बिक्री कर दिये। आवेदिका द्वारा नामान्तरण हेतु आवेदन अंचल अधिकारी, कटकमदाग को दिये जाने पर उनके द्वारा दाखिल-खारीज वाद सं0-636/20-21 को विपक्षी के आवेदन के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया। द्वितीय पक्ष द्वारा वकालतन हाजरी दिया गया किन्तु, लिखित ब्यान दायर नहीं किया गया है। उक्त दा0 खा0 वाद ONLINE दायर किया गया है, जिसे ONLINE अस्वीकृत किया गया है, जिसका अपील नियमानुसार ONLINE ही किया जा सकता है, चूंकि अपील आवेदन के समय ONLINE अपील दायर किये जाने के निमित्त JHARBHOOMI साईट पर सुचित व्यवस्था नहीं की गयी थी, फलस्वरूप OFFLINE अपील किया गया है, किन्तु इस मामले का निष्पादन नियमानुसार ONLINE ही किया जा सकता है।

उक्त के आलोक में आवेदिका ONLINE अपील दायर कर सकते हैं। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
सदर, हजारीबाग ।

  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
सदर, हजारीबाग ।